- DSLSA पोकसो केसों की मॉनिटरिंग समर्पित ई–मेल sampark.dslsa@gov.in के द्वारा करता है। प्रत्येक पोकसो केस में पीड़ित और उसके परिवार के लिए DSLSA के द्वारा मुफ्त वकील नियुक्त किया जाता है, जो पीड़ित और उसके परिवार के लिए कानूनी सहायता प्रदान करता है और क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन भी करता है।

- **पीड़ित क्षतिपूर्ति योजनाः–**

दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2018 के अंतर्गत DSLSA यौन शोषण के पीड़ितों को मुआवजे का वितरण करता है। पोकसो अधिनियम पीड़ित को उसकी शिक्षा, रोजगार के अवसरों की हानि के साथ ही विकलांगता, बीमारी अथवा दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप गर्भावस्था आदि की हानि के लिए मुआवजा प्रदान करता है। मुआवजा अंतरिम और कार्यवाही के समाप्त होने पर प्रदान किया जाता है। मुआवजे वितरण के आंकड़े इस प्रकार हैं:

वर्ष	पीड़ितो की संख्या	राशि (रू.में)
2019 (31.10.2019 तक)	363	5,77,95,000
2018	508	3,71,05,000
2017	324	2,41,75,000
2016	209	1,48,90,000
2015	133	1,11,95,000
2014	126	76,90,000

मुफ्त कानूनी सलाह टोल फ्री न. 1516 से प्राप्त कर सकतें हैं। सलाह एवं जानकारी ई मेल *legalaidwing-dslsa@nic.in* के द्वारा अथवा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरणों में संपर्क कर सकतें हैं जो कि निम्नवर्णित पते पर स्थित हैं :–

नई दिल्ली जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली फोन न.: 23072418 मोबाइल: 9667992802 ई मेल: nddistrict.dlsa@gmail.com	दक्षिण पश्चिम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कमरा न. 5 ए, एडमिन ब्लॉक, द्वारका न्यायालय फोन न.: 28041480 मोबाइल: 9667992801 ई मेल: southwest-dlsa@nic.in
केन्द्रीय जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पश्चिम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कमरा न. 287 एवं 295, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली फोन न.: 23933231, मो.: 9667992791 फोन न.: 23968052 मो.: 9667992792 ई मेल: central-dlsa@nic.in, west-dlsa@nic.in	दक्षिणी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण दक्षिण पूर्वी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण भूतल, उपयोगिता खण्ड, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली फोन न.: 29562440, मो.: 9667992799 फोन न.: 29561040, मो.: 9667992800 ई मेल: south-dlsa@nic.in southeast-dlsa@nic.in
उत्तर–पूर्वी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण शाहदरा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पूर्वी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कमरा न. 35, 35ए एवं 36, भूतल, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली फोन न.: 22101335, मो.: 9667992794 फोन न.: 22101456, मो.: 9667992795 फोन न.: 22101336, मो.: 9667992792 ई मेल: northeast-dlsa@nic.in ई मेल: shahara-dlsa@nic.in ई मेल: east-dlsa@nic.in	उत्तरी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण उत्तर–पश्चिम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कमरा न. 405, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली फोन न.: 27557310, मो.: 9667992797 फोन न.: 27555536, मो.: 9667992798 ई मेल: north-dlsa@nic.in northwest-dlsa@nic.in

November 2019

Pic Credit : Freepik.com

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

केन्द्रीय कार्यालय, पटियाला हाउस न्यायालय परिसर, नई दिल्ली –110001

फोनः 23384761, फैक्सः 23387267, ई मेलः legalaidwing-dslsa@nic.in

www.dslsa.org

24X7 टोल फ्री हेल्पलाइन न. 1516

यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, (पोकसो) 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन हमलों, यौन उत्पीड़न, और अश्लील गतिविधियों से सरंक्षण प्रदान करता है।

पोकसो अधिनियम के अतर्गत निम्नलिखित यौन अपराध दंडनीय हैं :–

- **भेदन यौन हमला** – यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु या शरीर के किसी भाग का प्रयोग किसी बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश करवाने के लिए करता है या बालक से ऐसा करवाता है तो इसे भेदन यौन हमला कहते हैं। इस अपराध के लिए 10 साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने तक की सजा का प्रावधान है। यदि बालक 16 वर्ष से कम है तो आरोपी को कम से कम बीस वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है।

- **उत्तेजित भेदन यौन हमला** – जब विश्वास करने योग्य व्यक्ति जैसे पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, बालक के रिश्तेदार एवं अभिभावक आदि भेदन यौन हमला करते हैं तो उसे उत्तेजित भेदन यौन हमला कहा जाता है। इसमें 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के साथ यौन हमला और बार–बार अपराध करना सम्मिलित है। इस अपराध के लिए जुर्माना और कम से कम 20 वर्ष का कठोर दंड या आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड तक बढ़ाया जा सकता है।

- **यौन हमला** – जो कोई कामुक इच्छा से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या उससे अपने गुप्त अंगों को स्पर्श करवाता है तो उसे यौन हमला कहा जाता है। इस अपराध के लिए आरोपी को कम से कम तीन साल और अधिकतम पाँच साल तक की सजा के साथ जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

- **उत्तेजित यौन हमला** – जब विश्वास करने योग्य व्यक्ति जैसे पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, बालक के रिश्तेदार एवं अभिभावक आदि यौन हमला करते हैं तो उसे उत्तेजित यौन हमला कहा जाता है। इसमें 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के साथ उत्तेजित यौन हमला और बार–बार अपराध करना सम्मिलित है। इस अपराध के लिए कम से कम पांच साल तक की सजा और अधिकतम सात साल तक की सजा के साथ जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

- **यौन प्रताड़ना** – यौन आशय से यदि कोई व्यक्ति कोई आवाज निकालता है या इशारा करता है या कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करता है या बालक से ऐसा करने के लिए कहता है तो इस अपराध के लिए तीन साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

- **अश्लील उद्देश्य के लिए बालक का प्रयोग करना** – बालक का अश्लील उद्देश्य से प्रयोग करना, इसमें मीडिया के किसी भी प्रकार जैसे कि फोटो, वीडियो या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से उसे उजागर करना सम्मिलित है। इस अपराध के लिए कम से कम 5 वर्ष तक कारावास और अधिकतम 7 वर्ष के कारावास के साथ जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

- **अश्लील लेखन साम्रगी का संचयन** – बच्चों को सम्मिलित करते हुए व्यवसाय करने के उद्देश्य से अश्लील साहित्य को संचित करने, दिखाने या बांटने पर कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

- **पीड़ित की पहचान**– अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही गोपनीय होगी। पीड़ित की पहचान प्रकट करने पर 6 महीने से 1 वर्ष तक के कारावास के साथ जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

- **अपराध की रिपोर्ट करने में असफल होने पर** – पोकसो अधिनियम के तहत अपराध की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति को अपराध होने के बारे में मालूम है और वह रिपोर्ट नही करता तो उसे 6 महीने से 1 वर्ष तक के कारावास के साथ जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

अधिनियम के अंतर्गत बाल सहायक प्रबंध

- पीड़ित को डाक्टरी सहायता और कानूनी सुरक्षा 24 घंटे के भीतर प्रदान की जाएगी।
- बच्चे की डाक्टरी जांच माता–पिता या अभिभावक की उपस्थिति में ही की जाएगी।
- बच्ची की डाक्टरी जांच महिला डॉक्टर के द्वारा की जाएगी।
- किसी भी बच्चे को रात में पुलिस स्टेशन में नही रखा जाएगा।
- रिपोर्ट और जांच साधारण भाषा में लिखी होनी चाहिए।
- किसी भी प्रकार से बच्चे को आरोपी के सामने नही लाया जाएगा।
- पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
- मुकदमें की कार्यवाही बंद कमरे में माता–पिता या अभिभावक की उपस्थिति में होगी।
- मुकदमें के दौरान बच्चे से आक्रामक तरीके से प्रश्न नही पूछे जाएगें।
- बच्चे को विडियो कान्फ्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विशेष किशोर पुलिस युनिट अथवा स्थानीय पुलिस मामले को बिना देरी के बाल कल्याण समिति और स्पेशल कोर्ट में रिपोर्ट करेंगे।
- पीड़ित को अनुवादक अथवा दुभाषिये की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- बच्चे का तुरंत पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रमाण की जिम्मेदारी :-

- इस अधिनियम में खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर होती है।

केसों का शीध्र निपटारा:-

- पोकसो अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के विशेष न्यायालयों का गठन पोकसों केसों के विचारण हेतु किया गया है। इन न्यायालयों के लिए 1 वर्ष के भीतर केसों को निपटाना अनिवार्य है।

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA) की भूमिका:-

- DSLSA प्रत्येक बच्चे को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है।
- न्यायालय परिसरों और कुछ अस्पतालों में वन स्टॉप सैंटर की स्थापना की गई है जिसमें पीड़ित को तुरंत डाक्टरी व कानूनी सहायता दी जाती है।
- बच्चों की गवाही रिकार्ड करने के लिए न्यायालय परिसरों में विशेष अतिसंवेदनशील गवाही न्यायालय स्थापित किए गए है।
- DSLSA द्वारा नियुक्त वकील पीड़ित के पक्ष को न केवल मुकदमें की सुनवाई के दौरान अपितु आरोपी की जमानत की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट के समक्ष रखता है।
- न्यायिक प्रक्रिया में पीड़ित और उसके परिवार को सहायता हेतु सहायक व्यक्ति प्रदान किया जाता है।